07/01/2022 पत्रावली पेशकश्री वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का एवं दस्तावेजों का मनन किया पाया गया कि विवादग्रस्त ग्राम सरनाचौड़ ए० ई० सरना चौड़ मु०अ० जि० क्षेत्र तहसील वाजिला जयपुर के ख.नं. 299 रकबा 4.7803 है० पर वादी एवं ख.नं. 287 रकबा 2.8075 है० में प्रतिवादी के मध्य सीमा विवाद है। वाद के सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया गया है। अतः मौके पर सुविधा का सन्तुलन देखने व वादों की बाहुल्यता को रोकने के लिए यह आदेशित किया जाता है कि वे अपने-अपने हिस्से पर काबिज रहें, दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की दखल अंदाजी मजाहमत न करें व विवादित सीमा पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण ना करें। वादों हेतु उभयपक्षों को वाद के निर्णय तक ख.नं. 299 रकबा 4.7803 है० पर वादी व ख.नं. 287 रकबा 2.8075 है० पर प्रतिवादी के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] 07/01/2022 को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:26:56 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्र.क्ष